

# न्यायालय तहसीलदार/ नायब तहसीलदार बाड़ी

मु.नं. 25/10

निर्णय दिनांक 25/11/2010

उपवान:- राम कान्त श्यामी राउ

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी

हल्का सक माबाद ने इस आशय के साथ रिपोर्ट पेश की है कि आराजी

खसरा नम्बर 567 रकबा 1-00 बीघा किरम गो. कु. पहाड

बारे ग्राम सुनीडा पर श्यामी राउ पुत्र कान्ठ

जाति मीन निवासी सुनीडा तहसील बाड़ी

ने सम्बर 2004 रवी/खरीफ में फसल रुजवा कर

अतिक्रमण किया है। दर्ज रजिस्टर पर अतिक्रमी को नियमानुसार अधि 1956 की

धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी श्यामी राउ आया

पटवारी हल्का ने उपस्थित अतिक्रमण होना बताया।

अतिक्रमी श्यामी राउ पुत्र कान्ठ

जाति मीन निवासी सुनीडा को आ. ख. नं. 567

रकबा 1-00 बीघा वारे ग्राम सुनीडा से तुरन्त प्रभाव से

बेदखल किया जाता है तथा लगान का 50 गुना शास्ती राशि 225/- (अक्षरे

रूपेय दो सौ पच्चीस के) आरोपित की जाती है। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी

हल्का एवं भू. अभि. निको लिखा जावे। T R A को मतालवा कायम कराया जावे। इजराय पत्रावली पृथक से संधारित की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर है।

फैसला आल दिनांक 25/11/2010 को

खुले इजलास पढकर सुनाया गया।

225-  
 न्यायालय तहसीलदार  
 बाड़ी  
 25/11/2010

तहसीलदार  
 न्यायालय तहसीलदार  
 बाड़ी (धौलपुर) राज.